उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 47/2023/498(2)/12-2-2023-26/2023
लखनऊ : दिनाँक: 10 मई, 2023

शुद्धि-पत्र

कृषकों तक नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं उसके उपयोग हेतु उन्हे प्रोत्साहित कर कृषि उत्पादकता के साथ-साथ कृषकों की आय वृद्धि करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रदेश में कृषि उत्पदकता बढ़ाये जाने एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु शासनादेश संख्या: 22/2023/498/12-2-2023-26/2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा रणनीति निर्गत की गई है।

2. उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत रणनीति के प्रस्तर-2 में कतिपय जनपदों के विकासखण्डों का विवरण संलग्न किए जाने का उल्लेख है, किन्तु निर्गत शासनादेश के साथ कतिपय जनपदों के विकासखण्डों का विवरण त्रुटिवश संलग्न नहीं किया जा सका है। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2023 के क्रम में विकासखण्डों का विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या: 47/2023/498(3)/12-2-2023-26/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जनपदों के विकासखण्डों का विवरण

				उत्पादकता (कुं0/हे0) (2021-22)		तुलना
क्र0सं0	जनपद का नाम	ब्लॉक	फसल	पुरस्कृत किसानों की उपज	ब्लॉक औसत	पुरस्कृत किसानों की उपज बनाम ब्लॉक औसत
1	अलीगढ़	गंगीरी	रेप सीड और सरसों	42	15	2.7 X
2	अलीगढ़	गंगीरी	रेप सीड और सरसों	38	15	2.5 X
3	अलीगढ़	बिजौली	गेहूँ	86	43	2.0 X
4	बलिया	दुबहड़	मसूर	36	13	2.8 X
5	बुलन्दशहर	बी0 बी0 नगर	अरहर	22	5	4.1 X
6	फर्रूखाबाद	शमसाबाद	मक्का	90	32	2.8 X
7	फर्रूखाबाद	शमसाबाद	गेहूँ	86	39	2.2 X
8	फर्रूखाबाद	कायमगंज	मक्का	90	31	2.9 X
9	फर्रूखाबाद	कायमगंज	गेहूँ	86	40	2.2 X
10	हरदोई	हरपालपुर	तिल	13	6	1.9 X
11	हरदोई	हरपालपुर	तिल	12	6	1.9 X
12	झांसी	बबीना	चना	39	13	3.0 X
13	कन्नौज	जलालाबाद	मक्का	73	31	2.3 X
14	कानपुर शहर	घाटमपुर	गेहूँ	69	33	2.0 X
15	कानपुर शहर	कल्याणपुर	गेहूँ	68	35	1.9 X
16	कानपुर शहर	पतारा	चना	32	14	2.3 X
17	कानपुर शहर	कल्याणपुर	धान	68	35	1.9 X
18	कानपुर शहर	शिवराजपुर	धान	67	31	2.2 X
19	कानपुर शहर	सरसौल	उर्द	20	7	3.0 X
20	ललितपुर	बिरधा	चना	41	16	2.7 X
21	ललितपुर	बिरधा	चना	41	16	2.6 X
22	प्रयागराज	उर्वा	गेहूँ	86	28	3.1 X
23	प्रयागराज	जसरा	धान	90	27	3.4 X
24	रायबरेली	जगतपुर	धान	108	28	3.8 X
25	रायबरेली	जगतपुर	धान	102	28	3.6 X

कृषि विभाग एवं सभी सम्बद्ध उपक्षेत्रों (उद्यान, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि) के लिए किया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 22/2023/498/12-2-2023

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक: 21 मार्च, 2023

विषय- **प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाये जाने एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु रणनीति के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृषकों तक नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं उसके उपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित कर कृषि उत्पादकता के साथ-साथ कृषकों की आय वृद्धि करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु विशेष रणनीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिनके मुख्य आयाम निम्न प्रकार हैं-

(i) कृषकों को निजी एवं सरकारी शासकीय प्रणाली से उच्च श्रेणी के गुणवत्तापूर्ण विभिन्न कृषि आदानों (Agricultural Inputs) की पर्याप्त एवं समय से उपलब्धता।

(ii) सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं नहरों द्वारा रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाना।

(iii) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सहित खेती की लागत कम करते हुये सतत कृषि (Sustainable Agriculture) को बढ़ावा।

(iv) समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग, समन्वित कीट रोग प्रबन्धन, जल प्रबन्धन, पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेन्ट जैसी विधाओं के प्रति कृषकों में जागरूकता कर बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(v) कृषि प्रसार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कृषकों तक नई-नई कृषि तकनीकों को पहुंचाना, उनके उपयोग हेतु उन्हें जागरूक करना तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुमन्य लाभों/सुविधाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करना।

2. यद्यपि गत वर्षों में विभिन्न फसलों में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परन्तु इसको और गति देने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष दिनांक 23 दिसम्बर को मा0 पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को ''किसान सम्मान दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले कृषकों को विकास खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादकता वाले कृषकों का चयन उनके खेतों पर क्राप कटिंग एक्सपेरिमेन्ट कराते हुये होता है। इस प्रकार पुरस्कृत कृषकों द्वारा प्राप्त की गयी विभिन्न फसलों की उत्पादकता और सम्बन्धित विकासखण्डों की उत्पादकता में भारी अन्तर परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए कतिपय जनपदों के विकासखण्डों का विवरण संलग्न है।

3. उक्त विवरण के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित विकासखण्ड में ऐसे प्रगतिशील कृषक हैं, जो बेहतर तकनीक एवं इनपुट का प्रयोग कर उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं एवं उस विकास खण्ड के एग्रोक्लाईमेटिक जोन के अनुसार इतनी ही उत्पादकता का स्तर अन्य कृषकों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः विकासखण्ड की औसत उत्पादकता और सर्वाधिक उत्पादकता के बीच अन्तर को न्यूनतम करना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब ऐसे प्रगतिशील कृषकों को कृषि प्रसार के कार्यक्रमों से सीधे जोड़ा जाये एवं उनके अनुभव तथा कौशल का लाभ लेते हुये अन्य कृषकों को भी प्रेरित किया जाये।

4. तत्क्रम में प्रदेश में कृषि प्रसार कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए निम्नलिखित रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिये जा रहे हैं-

4.1 प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में चार ऐसी प्रमुख फसलों को चयनित किया जायेगा जिनका क्षेत्राच्छादन सर्वाधिक है। यह कार्यवाही दिनांक 15.04.2023 तक सम्पन्न करा ली जायेगी।

4.2 कृषि सांख्यिकी विभाग के माध्यम से यह आंकड़ा भी संकलित किया जायेगा कि उस विकासखण्ड में पिछले तीन वर्ष (2019-20, 2020-21, 2021-22) की औसत उत्पादकता चिन्हित फसलों में क्या रही है। प्रत्येक चिन्हित फसल हेतु पिछले तीन वर्षों में संबंधित विकासखण्ड में सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले 05 प्रगतिशील कृषकों का चयन किया जायेगा, जिनको विकासखण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हो। यह चिन्हीकरण दिनांक 15.04.2023 तक सम्पन्न कर एक कार्ययोजना के रूप में तैयार किया जायेगा।

4.3 इस प्रकार विकासखण्ड में सर्वाधिक प्राप्त उत्पादकता को लक्ष्य मानते हुये विकासखण्ड की औसत उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित प्रगतिशील कृषकों को विकासखण्ड के प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में सीधे रूप से जोड़ा जायेगा।

4.4 कृषि प्रसार के कार्यक्रमों से इन चिन्हित प्रगतिशील कृषकों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगा:-

(i) समस्त ग्राम पंचायतों में खरीफ व रबी अभियान में गोश्ठियां आयोजित करते हुए इन कृषकों के माध्यम से अन्य कृषकों को जागरूक किया जाएगा तथा यह जानकारी दी जाए कि वह कौन सी तकनीकी, बीज एवं फसल प्रबन्धन की विधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके द्वारा उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त की जा रही है।

(ii) प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त ग्राम पंचायत के 2 सर्वाधिक क्षेत्राच्छादन वाली विशिष्ट फसलों के अनुसार इन प्रगतिशील कृषकों को गोष्ठियों में सम्मिलित करते हुए उनसे उदबोधन कराया जाए।

(iii) इन चिन्हित प्रगतिशील कृषकों के खेत पर फार्म स्कूल भी संचालित किया जाए, जिसके अन्तर्गत कृषकों का स्थलीय भ्रमण भी कराया जाए। इस प्रकार कृषकों को सुविधापूर्वक कम व्यय में ऐसे प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर भ्रमण करा कर अधिक से अधिक कृषकों को जागरूक किया जा सकेगा।

(iv) विकासखण्ड व जनपद स्तर की गोष्ठियों में भी तद्नुसार प्रगतिशील कृषकों को सम्मिलित करते हुए उनके माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने हेतु रणनीति के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाए। चयनित प्रगतिशील कृषक वह हैं जिनके द्वारा उस विकासखण्ड में रहते हुए वहां की मृदा व एग्रोक्लाइमेटिक जोन की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त की गई है, अतः अन्य कृषक भी उनसे प्रेरणा लेकर उच्च उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे।

(v) इन ग्राम स्तरीय कार्यक्रम की जानकारी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष / सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष / सदस्य को भी उपलब्ध करा कर उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र के मा0 सांसद तथा मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

विधायक को भी कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे वह भी इन कार्यक्रम में भाग ले सकें।

5. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक उक्तानुसार खरीफ व रबी के कार्यक्रम की समय सारणी, ग्राम पंचायत व विकासखण्डवार तैयार करेगें जिसमें जनपद, विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत का तिथिवार कार्यक्रम घोषित होगा एवं उस आयोजन में कौन-कौन से प्रगतिशील कृषक सम्मिलित होंगे, का भी विवरण होगा। यह कार्ययोजना प्रत्येक दशा में खरीफ हेतु इस वर्ष के ३० अप्रैल तथा रबी हेतु ३० सितम्बर से पूर्व तैयार कर ली जाए, जिससे कि प्रसार कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से संचालित हो सके। इस प्रकार की गोष्ठियों में प्रगतिशील कृषकों के साथ-साथ विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे तथा सक्रिय कृषि उत्पादक संगठनों (FPO's) के सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे।

6. प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश के प्रत्येक 825 विकासखण्डों में प्रत्येक दिवस में 5 ग्राम पंचायतों की प्रत्येक दिन गोष्ठी आयोजित की जाएगी। प्रत्येक गोष्ठी में लगभग रू0 5000 का व्यय सम्भावित होगा। उक्त में से रू0 1000 प्रत्येक प्रगतिशील कृषकों को, रू0 500-500 का मानदेय तथा शेष रू0 4000 कृषकों को सूक्ष्म जलपान एवं बैठक की अन्य व्यवस्था कराने के उद्देश्य से दिया जायेगा। इस प्रकार आयोजन में रबी और खरीफ की कार्ययोजना में लगभग 59 करोड़ का व्यय सम्भव है, जिसको निम्नलिखित योजनाओं से कन्वर्जेंस द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है:-

(i) आर0के0वी0वाई के अन्तर्गत (मिलियन फार्मर्स स्कूल/किसान पाठशाला)।

(ii) मिलेट्स प्रधान विकासखण्ड हेतु राज्य पोषित मिलेट पुनरूद्धार योजना के प्रचार-प्रसार मद से।

(iii) दलहन प्रधान विकासखण्डों हेतु 2023-24 से क्रियान्वित होने वाली दलहन विकास की नवीन योजना के प्रसार संबंधित मदों से।

(iv) तिलहन प्रधान विकासखण्ड हेतु वर्ष 2023-24 से क्रियान्वित होने वाले तिलहन विकास की राज्य पोषित योजना के प्रसार के मद से।

7. उपरोक्त कार्यवाही से प्रत्येक ग्राम पंचायत में धान, गेहूँ की मुख्य फसल सहित मिलेट, मक्का, दलहन, तिलहन की योजना का व्यापार प्रचार-प्रसार करते हुए तथा इन योजनाओं से मिनीकिट का वितरण करते हुए इन उत्पाद का क्षेत्राच्छादन बढ़ाया जाएगा। गोष्ठियों में अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

(i) रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग हेतु जागरूक करना (पी0एम0 प्रथम योजना)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) मिशन प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत कृषकों को प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित करना।

(iii) पराली प्रबंधन की तरफ कृषकों को जागरूक करना।

(iv) अन्य सामयिक विषय भी जोड़े जा सकते हैं।

8. इस कार्ययोजना का क्रियान्वयन रबी और खरीफ सत्र में किया जाएगा तथा इसके अनुश्रवण की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे समस्त ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित हो सके। कार्ययोजना के अनुश्रवण हेतु पृथक से डैशबोर्ड की स्थापना कर के ऑनलाइन माध्यम से ही प्रगति आख्या को अधावधिक कराया जाएगा।

9. तत्क्रम में अपेक्षा है कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार इस नवीन रणनीति के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे प्रत्येक वर्ष की उत्पादकता निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बढ़ सके और किसानों की आय में उतरोत्तर वृद्धि सम्भव हो सके।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 22/2023/498(1)/12-2-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
(i) प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(ii)निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(iii)समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।